

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

**INDEX**

IN

**COMPLIANCE AFFIDAVIT ON BEHALF OF**  
**UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD**

(Respondent No. 1)

Original Application No. 182/2024

Suo Motu matter in News item titled "लक्सर में जोरों पर चल रहा अवैध खनन  
का खेल, रात के अंधेरे में गरज रही जेसीबी मशीनें" appearing in ETV Bharat  
dated 17.01.2024

Sl. No.	Particulars	Pg. No.
1.	Index	1
2.	Compliance Affidavit	2-6
3.	<b><u>Annexure No. 1</u></b> (Copy of letters issued for Environment compensation dated 22-11-2024)	7-32
4.	<b><u>Annexure No. 2</u></b> (Copy of the office order dated 21.12.2019)	33-38
5.	<b><u>Annexure No. 3</u></b> (Letter deposit of cost Rs. 25000)	39

Dated: November 2024

**Kaushal Gautam**

Counsel for UKPCB

Office: A-25 Second Floor, Defence Colony, New Delhi-24

Mob: 9811101934



BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

**COMPLIANCE AFFIDAVIT ON BEHALF OF**  
**UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD**

(Respondent No. 1)

Original Application No. 182/2024



Suo Motu matter in News item titled "लक्सर में जोरों पर चल रहा अवैध खनन का खेल, रात के अंधेरे में गरज रही जेसीबी मशीनें" appearing in ETV Bharat dated 17.01.2024

I, Dr. Parag Madhukar Dhakate, aged about 47 years, S/o Sh. M.B. Dhakate Presently posted as Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun, hereby solemnly affirm and state on oath as under: -

Deponent

- 1) That the deponent is presently posted as the Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board Uttarakhand and is competent to sign and swear the instant affidavit.
- 2) That the matter was listed before the Hon'ble NGT on 23.08.2024, wherein the Hon'ble Tribunal was pleased to direct as under:

"1. No report by Uttarakhand Pollution Control Board (UKPCB) in terms of the previous order has been filed.

2. Tribunal in the previous proceedings on 09.05.2024 had granted time to UKPCB to take appropriate action against the violators and submit action taken report by observing as under: -

"XXX.....XXX....."

...XXX 4. The said report of the UKPCP does not disclose any action against the persons involved in illegal mining in respect of imposition of EC. Such illegal mining causes damage to the environment, hence, it is not in dispute that action is required to be taken against the violators for imposition of EC. 5. Learned Counsel for the UKPCB submits that within four weeks the requisite action of imposition of EC will be taken and the EC will be assessed and finalized. The submissions made by the Counsel for the applicant reflects that till now, even the show cause notices have not been issued to the violators. We are surprised that in spite of such large scale violation of environmental norms, the UKPCB has not taken any action till now for imposition of EC against the violators. 6. However, we accept the prayer made by Counsel for UKPCB for grant of time to take appropriate action against the violators. We direct the UKPCB to submit action taken report at least one week 2 before the next date of hearing by e-mail at [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in) preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF containing full details of the violators and the action which has been taken against them by the UKPCB."



*[Handwritten Signature]*

3. *In spite of the above direction, report is still awaited.*

.....”

- 3) That in compliance of the above-mentioned orders of the Hon’ble NGT, the total amount of the Environmental Compensation (E.C) imposed of an amount of Rs.1,43,10,009/- has been imposed by UKPCB on 26 units in the following manner
- (i) 8 stone crushers for violation of environmental norms as well as illegally stored mined material.
  - (ii) 18 mining entities where illegal mining was reported.

In this connection EC imposition letters vide no. UKPCB/H.O./C&M-241/2024/1352 to UKPCB/H.O./C&M-241/2024/1377, dated 22.11.2024, has been sent to respondents is being marked and filed as **Annexure No. 1** to this affidavit.

- 4) It is pertinent to mention that the calculation for the imposition of E.C on the non-complying environmental norms was done as per the formula finalized in the 22<sup>nd</sup> board meeting of UKPCB on 22.08.2019. In this connection the copy of the office order dated 21.12.2019 is being marked and filed as **Annexure No. 2** to this affidavit.
- 5) That the calculation for the imposition of E.C. for illegal mining was done as per the approach finalized by the Hon’ble NGT in the case of *National Green Tribunal Bar Association Versus Virender Singh (State of Gujarat) OA No. 360 of 2015* vide order dated 26.02.2021.



*[Handwritten Signature]*

- 6) That this Hon'ble Tribunal vide order dated 23.08.2024 was also pleased to direct as under: -

“ ....

*4. Counsel for the UKPCB submits that show notices are about to be issued and in this background, a prayer for adjournment has been made. We find that order of the Tribunal has not been complied with, therefore, we accept the prayer for adjournment for extending the time for filing the action taken report, subject to deposit of cost of Rs. 25,000/- by UKPCB with the Registrar General of the Tribunal within two weeks.*

....”

- 7) That in compliance of the order, dated 23.08.2024, passed by this Hon'ble Tribunal, UKPCB has paid the amount of Rs.25,000/- through demand draft vide Letter, dated 21-9-2024, and filed as **Annexure No. 3** to this affidavit.
- 8) That the deponent is a responsible Government servant having the highest regards for the Hon'ble Tribunal and orders passed by them. The deponent has always made his sincerest efforts to carry out the orders passed by this Hon'ble Tribunal in its letter and spirit and shall continue to do so in the future.

  
Deponent



Verification: -


Verified at Dehradun on the 30 day of November, 2024, that the contents of the accompanying compliance affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief based on the official record and nothing is false, and no material has been concealed therein.

Dated- 30.. November 2024

  
Deponent

Filed by:

**Kaushal Gautam**  
Counsel for UKPCB  
Office: A-25 Second Floor, Defence Colony, New Delhi-24  
Mob: 9811101934



S.No - 70891/24



This affidavit is sworn before me by  
Shri. Dr. Poojy Madhukar Dhakate  
who is identified by Shri .....  
at Dehradun on.....

  
(Rajender Singh Negi)  
Advocate & Notary, Dehradun



मुख्यालय  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"  
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून  
E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष: 0135-2607092

पत्रांक-यूकेपीसीबी/एचओ/सी.एण्ड.एम.-241/2024/1377

दिनांक :- 22.11.2024

सेवा में,

मै० शुभ स्टोन क्रशर,  
ग्रा०-मुजफ्फरपुर, तहसील-लक्सर,  
जिला-हरिद्वार।

विषय :- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं०-182/2024, News Item titled "लक्सर में जोरों पर चल रहा अवैध खनन का खेल, रात के अंधेरे में गरज रही जे०सी०बी० मशीनें" Appearing in ETV Bharat dated 17.01.2024 के अनुपालन में स्टोन केशरों द्वारा पर्यावरणीय मानकों/प्रावधानों के उल्लंघन तथा अवैध खनन के क्रम में सम्बन्धित पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित की जानी है।


मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश मूल आवेदन सं०-360/2015, दिनांक 26.02.2021 व मूल आवेदन सं०-337/2021 दिनांक 25.05.2022 में दी गयी गणना एवं राज्य बोर्ड की बैठक में लिये गये निर्णय व अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि ₹11,51,174/- आंकलित की गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि ₹11,51,174/- पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्तर्गत इस कार्यालय में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का डिमान्ड ड्राफ्ट "उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" के नाम एवं देहरादून में देय होगा।

भवदीय

  
(डॉ० पराग मधुकर धकाते)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय अधिकारी, यूकेपीसीबी, क्षेत्रीय कार्यालय, रुड़की को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
सदस्य सचिव

92



मुख्यालय  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"  
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून  
E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष: 0135-2607092

पत्रांक-यूकेपीसीबी/एचओ/सी.एण्ड.एम.-241/2024/1376

दिनांक :- २३.11.2024

सेवा में,

मै० दून स्टोन क्रशर,

ग्रा०-महतोली, तहसील-लक्सर, जिला-हरिद्वार।

विषय :- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं०-182/2024, News Item titled "लक्सर में जोरों पर चल रहा अवैध खनन का खेल, रात के अंधेरे में गरज रही जे०सी०बी० मशीनें" Appearing in ETV Bharat dated 17.01.2024 के अनुपालन में स्टोन केशरों द्वारा पर्यावरणीय मानकों/प्रावधानों के उल्लंघन तथा अवैध खनन के कम में सम्बन्धित पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित की जानी है।

मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश मूल आवेदन सं०-360/2015, दिनांक 26.02.2021 व मूल आवेदन सं०-337/2021 दिनांक 25.05.2022 में दी गयी गणना एवं राज्य बोर्ड की बैठक में लिये गये निर्णय व अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि ₹33,93,901/- आंकलित की गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि ₹33,93,901/- पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्तर्गत इस कार्यालय में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का डिमान्ड ड्राफ्ट "उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" के नाम एवं देहरादून में देय होगा।

भवदीय

(डॉ० पराग मधुकर धकाते)

सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय अधिकारी, यू०के०पी०सी०बी०, क्षेत्रीय कार्यालय, रुड़की को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव



मुख्यालय  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"  
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्रधारा रोड़, देहरादून  
E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष: 0135-2607092

623

पत्रांक-यूकेपीसीबी/एचओ/सी.एण्ड.एम.-241/2024/1375

दिनांक :- 22/11/2024

सेवा में,

मै० लिमरा इन्डस्ट्रीज़,  
ग्रा० नदेहीपुर, तहसील-लक्सर,  
जिला-हरिद्वार।

विषय :- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं०-182/2024, News Item titled "लक्सर में जोरों पर चल रहा अवैध खनन का खेल, रात के अंधेरे में गरज रही जे०सी०बी० मशीनें" Appearing in ETV Bharat dated 17.01.2024 के अनुपालन में स्टोन केशरों द्वारा पर्यावरणीय मानकों/प्रावधानों के उल्लंघन तथा अवैध खनन के क्रम में सम्बन्धित पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित की जानी है।


मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश मूल आवेदन सं०-360/2015, दिनांक 26.02.2021 व मूल आवेदन सं०-337/2021 दिनांक 25.05.2022 में दी गयी गणना एवं राज्य बोर्ड की बैठक में लिये गये निर्णय व अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि ₹11,79,507/- आंकलित की गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि ₹11,79,507/- पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्तर्गत इस कार्यालय में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का डिमान्ड ड्राफ्ट "उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" के नाम एवं देहरादून में देय होगा।

भवदीय

  
(डॉ० पराग मधुकर धकाते)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय अधिकारी, यू०के०पी०सी०बी०, क्षेत्रीय कार्यालय, रुड़की को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
सदस्य सचिव

92



मुख्यालय  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"  
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून  
E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष: 0135-2607092

पत्रांक-यूकेपीसीबी/एचओ/सी.एण्ड.एम.-241/2024/1374

दिनांक :- 22.11.2024

सेवा में,

मै० सूर्या स्टोन क्रशर,  
ग्रा०-मुजफ्फरपुर, तहसील-लक्सर,  
जिला-हरिद्वार।

विषय :- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं०-182/2024, News Item titled "लक्सर में जोरों पर चल रहा अवैध खनन का खेल, रात के अंधेरे में गरज रही जे०सी०बी० मशीनें" Appearing in ETV Bharat dated 17.01.2024 के अनुपालन में स्टोन केशरों द्वारा पर्यावरणीय मानकों/प्रावधानों के उल्लंघन तथा अवैध खनन के क्रम में सम्बन्धित पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित की जानी है।


मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश मूल आवेदन सं०-360/2015, दिनांक 26.02.2021 व मूल आवेदन सं०-337/2021 दिनांक 25.05.2022 में दी गयी गणना एवं राज्य बोर्ड की बैठक में लिये गये निर्णय व अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि ₹23,78,314/- आंकलित की गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि ₹23,78,314/- पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्तर्गत इस कार्यालय में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का डिमान्ड ड्राफ्ट "उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" के नाम एवं देहरादून में देय होगा।

भवदीय

  
(डॉ० पराग मधुकर धकाते)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय अधिकारी, यू०के०पी०सी०बी०, क्षेत्रीय कार्यालय, रुड़की को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
सदस्य सचिव





मुख्यालय  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"  
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून  
E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष: 0135-2607092

625

पत्रांक-यूकेपीसीबी/एचओ/सी.एण्ड.एम.-241/2024/1373

दिनांक :- 22.11.2024

सेवा में,

मै० गणपति स्टोन क्रशर,  
ग्रा०-जवाहरखान उर्फ झीवरेड़ी,  
तहसील-लक्सर, जिला-हरिद्वार।

विषय :- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं०-182/2024, News Item titled "लक्सर में जोरों पर चल रहा अवैध खनन का खेल, रात के अंधेरे में गरज रही जे०सी०बी० मशीनें" Appearing in ETV Bharat dated 17.01.2024 के अनुपालन में स्टोन केशरों द्वारा पर्यावरणीय मानकों/प्रावधानों के उल्लंघन तथा अवैध खनन के क्रम में सम्बन्धित पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित की जानी है।


मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश मूल आवेदन सं०-360/2015, दिनांक 26.02.2021 व मूल आवेदन सं०-337/2021 दिनांक 25.05.2022 में दी गयी गणना एवं राज्य बोर्ड की बैठक में लिये गये निर्णय व अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि ₹8,82,179/- आंकलित की गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि ₹8,82,179/- पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्तर्गत इस कार्यालय में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का डिमान्ड ड्राफ्ट "उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" के नाम एवं देहरादून में देय होगा।

भवदीय

  
(डॉ० पराग मधुकर धकाते)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय अधिकारी, यू०के०पी०सी०बी०, क्षेत्रीय कार्यालय, रुड़की को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
सदस्य सचिव





मुख्यालय  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"  
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून  
E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष: 0135-2607092

पत्रांक-यूकेपीसीबी/एचओ/सी.एण्ड.एम.-241/2024/1372

दिनांक :- 22.11.2024

सेवा में,

मै० किसान स्टोन क्रशर,

ग्रा० महतोली, तहसील-लक्सर, जिला-हरिद्वार।

विषय :- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं०-182/2024, News Item titled "लक्सर में जोरों पर चल रहा अवैध खनन का खेल, रात के अंधेरे में गरज रही जे०सी०बी० मशीनें" Appearing in ETV Bharat dated 17.01.2024 के अनुपालन में स्टोन केशरों द्वारा पर्यावरणीय मानकों/प्रावधानों के उल्लंघन तथा अवैध खनन के क्रम में सम्बन्धित पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित की जानी है।

मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश मूल आवेदन सं०-360/2015, दिनांक 26.02.2021 व मूल आवेदन सं०-337/2021 दिनांक 25.05.2022 में दी गयी गणना एवं राज्य बोर्ड की बैठक में लिये गये निर्णय व अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि ₹11,12,538/- आंकलित की गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि ₹11,12,538/- पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्तर्गत इस कार्यालय में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का डिमान्ड ड्राफ्ट "उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" के नाम एवं देहरादून में देय होगा।

भवदीय

(डॉ० पराग मधुकर धकाते)

सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय अधिकारी, यू०के०पी०सी०बी०, क्षेत्रीय कार्यालय, रुड़की को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव



मुख्यालय  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"  
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून  
E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष: 0135-2607092

627

पत्रांक-यूकेपीसीबी/एचओ/सी.एण्ड.एम.-241/2024/1371

दिनांक :- 22.11.2024

सेवा में,

मै० हाईवे कनस्ट्रक्शन एण्ड क्रशर,  
ग्रा० फतवा, तहसील-लक्सर, जिला-हरिद्वार।

विषय :- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं०-182/2024, News Item titled "लक्सर में जोरों पर चल रहा अवैध खनन का खेल, रात के अंधेरे में गरज रही जे०सी०बी० मशीनें" Appearing in ETV Bharat dated 17.01.2024 के अनुपालन में स्टोन केशरों द्वारा पर्यावरणीय मानकों/प्रावधानों के उल्लंघन तथा अवैध खनन के क्रम में सम्बन्धित पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित की जानी है।

मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश मूल आवेदन सं०-360/2015, दिनांक 26.02.2021 व मूल आवेदन सं०-337/2021 दिनांक 25.05.2022 में दी गयी गणना एवं राज्य बोर्ड की बैठक में लिये गये निर्णय व अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि ₹10,59,071/- आंकलित की गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि ₹10,59,071/- पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्तर्गत इस कार्यालय में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का डिमान्ड ड्राफ्ट "उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" के नाम एवं देहरादून में देय होगा।

भवदीय

(डॉ० पराग मधुकर धकाते)

सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय अधिकारी, यू०के०पी०सी०बी०, क्षेत्रीय कार्यालय, रुड़की को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव



**LIFE**  
Lifestyle For  
Environment

मुख्यालय

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

“गौरा देवी पर्यावरण भवन”

46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून

E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष: 0135-2607092

पत्रांक-यूकेपीसीबी/एचओ/सी.एण्ड.एम.-241/2024/1370

दिनांक :- 22.11.2024

सेवा में,

मै० वानिया स्टोन केशर,  
ग्रा०-महतोली, तहसील-लक्सर,  
जिला-हरिद्वार।

विषय :- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं०-182/2024, News Item titled “लक्सर में जोरों पर चल रहा अवैध खनन का खेल, रात के अंधेरे में गरज रही जे०सी०बी० मशीनें” Appearing in ETV Bharat dated 17.01.2024 के अनुपालन में स्टोन केशरों द्वारा पर्यावरणीय मानकों/प्रावधानों के उल्लंघन तथा अवैध खनन के क्रम में सम्बन्धित पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित की जानी है।

मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश मूल आवेदन सं०-360/2015, दिनांक 26.02.2021 व मूल आवेदन सं०-337/2021 दिनांक 25.05.2022 में दी गयी गणना एवं राज्य बोर्ड की बैठक में लिये गये निर्णय व अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि ₹7,64,930/- आंकलित की गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि ₹7,64,930/- पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्तर्गत इस कार्यालय में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का डिमान्ड ड्राफ्ट “उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड” के नाम एवं देहरादून में देय होगा।

भवदीय

(डॉ० पराग मधुकर धकाते)

सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय अधिकारी, यू०के०पी०सी०बी०, क्षेत्रीय कार्यालय, रुड़की को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव



मुख्यालय  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

“गौरा देवी पर्यावरण भवन”

46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून

E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष: 0135-2607092

पत्रांक-यूकेपीसीबी/एचओ/सी.एण्ड.एम.-241/2024/1369

दिनांक :- 22/11/2024

सेवा में,

मै० उत्तराखण्ड एसोसिएट्स,  
प्रो० इरफान अहमद नि० ग्राम-अहमदपुर, चिडिया,  
तसहील व जिला-हरिद्वार।

विषय :- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं०-182/2024, News Item titled “लक्सर में जोरों पर चल रहा अवैध खनन का खेल, रात के अंधेरे में गरज रही जे०सी०बी० मशीनें” Appearing in ETV Bharat dated 17.01.2024 के अनुपालन में रिटेल भण्डारणकर्ताओं द्वारा किये गये अवैध खनन के कम में सम्बन्धित पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित की जानी है।

मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश मूल आवेदन सं०-360/2015, दिनांक 26.02.2021 व मूल आवेदन सं०-337/2021 दिनांक 25.05.2022 में दी गयी गणना के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि ₹2,81,089/- आंकलित की गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि ₹2,81,089/- पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्तर्गत इस कार्यालय में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का डिमान्ड ड्राफ्ट “उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड” के नाम एवं देहरादून में देय होगा।

भवदीय

  
(डॉ० पराग मधुकर धकाते)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय अधिकारी, यू०के०पी०सी०बी०, क्षेत्रीय कार्यालय, रुड़की को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
सदस्य सचिव





मुख्यालय  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"

46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून  
E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष: 0135-2607092

पत्रांक-यूकेपीसीबी/एचओ/सी.एण्ड.एम.-241/2024/1368

दिनांक :- २२.11.2024

सेवा में,

मै० गणपति ट्रेडिंग कम्पनी,  
प्रा० अंकुर चौहान पुत्र श्री अभय सिंह,  
नि० कबूलपुर रायघाटी त० लक्सर, जिला-हरिद्वार।

विषय :- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं०-182/2024, News Item titled "लक्सर में जोरों पर चल रहा अवैध खनन का खेल, रात के अंधेरे में गरज रही जे०सी०बी० मशीनें" Appearing in ETV Bharat dated 17.01.2024 के अनुपालन में रिटेल भण्डारणकर्ताओं द्वारा किये गये अवैध खनन के क्रम में सम्बन्धित पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित की जानी है।


मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश मूल आवेदन सं०-360/2015, दिनांक 26.02.2021 व मूल आवेदन सं०-337/2021 दिनांक 25.05.2022 में दी गयी गणना के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि ₹41,227/- आंकलित की गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि ₹41,227/- पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्तर्गत इस कार्यालय में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का डिमान्ड ड्राफ्ट "उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" के नाम एवं देहरादून में देय होगा।

भवदीय

  
(डॉ० पराग मधुकर धकाते)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय अधिकारी, यू०के०पी०सी०बी०, क्षेत्रीय कार्यालय, रुड़की को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
सदस्य सचिव





मुख्यालय  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"

46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून  
E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष: 0135-2607092

पत्रांक-यूकेपीसीबी/एचओ/सी.एण्ड.एम.-241/2024/1367

दिनांक :- 22.11.2024

सेवा में,

मै० भद्री एण्ड एसोसिएशन,

ग्राम-लामगन्ट तहसील-भगवानपुर, जिला-हरिद्वार।

विषय :- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं०-182/2024, News Item titled "लक्सर में जोरों पर चल रहा अवैध खनन का खेल, रात के अंधेरे में गरज रही जे०सी०बी० मशीनें" Appearing in ETV Bharat dated 17.01.2024 के अनुपालन में रिटेल भण्डारणकर्ताओं द्वारा किये गये अवैध खनन के कम में सम्बन्धित पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित की जानी है।

मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश मूल आवेदन सं०-360/2015, दिनांक 26.02.2021 व मूल आवेदन सं०-337/2021 दिनांक 25.05.2022 में दी गयी गणना के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि ₹33,193/- आंकलित की गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि ₹33,193/- पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्तर्गत इस कार्यालय में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का डिमान्ड ड्राफ्ट "उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" के नाम एवं देहरादून में देय होगा।

भवदीय

(डॉ० पराग मधुकर धकाते)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय अधिकारी, यू०के०पी०सी०बी०, क्षेत्रीय कार्यालय, रुड़की को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव



मुख्यालय  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"  
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून  
E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष: 0135-2607092

पत्रांक-यूकेपीसीबी/एचओ/सी.एण्ड.एम.-241/2024/1366

दिनांक :- 22.11.2024

सेवा में,

श्री ललित कुमार पुत्र श्री कृपाल सिंह,  
नि0 ग्राम-हरचन्दपुर पोस्ट गुरुकुल नारसन,  
तहसील-रुड़की, हरिद्वार।

विषय :- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0-182/2024, News Item titled "लक्सर में जोरों पर चल रहा अवैध खनन का खेल, रात के अंधेरे में गरज रही जे0सी0बी0 मशीनें" Appearing in ETV Bharat dated 17.01.2024 के अनुपालन में रिटेल भण्डारणकर्ताओं द्वारा किये गये अवैध खनन के कम में सम्बन्धित पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित की जानी है।

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश मूल आवेदन सं0-360/2015, दिनांक 26.02.2021 व मूल आवेदन सं0-337/2021 दिनांक 25.05.2022 में दी गयी गणना के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि ₹23,012/- आंकलित की गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि ₹23,012/- पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्तर्गत इस कार्यालय में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का डिमान्ड ड्राफ्ट "उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" के नाम एवं देहरादून में देय होगा।

भवदीय

(डॉ0 पराग मधुकर धकाते)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय अधिकारी, यू0के0पी0सी0बी0, क्षेत्रीय कार्यालय, रुड़की को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव



मुख्यालय  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"

46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून  
E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष: 0135-2607092

पत्रांक-यूकेपीसीबी/एचओ/सी.एण्ड.एम.-241/2024/1365

दिनांक :- 22.11.2024

सेवा में,

श्री बिट्टू पुत्र श्री महावीर सिंह,  
निवासी-कबूलपुरी रायघाटी,  
तहसील लकसर, जिला-हरिद्वार।

विषय :- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं०-182/2024, News Item titled "लकसर में जोरों पर चल रहा अवैध खनन का खेल, रात के अंधेरे में गरज रही जे०सी०बी० मशीनें" Appearing in ETV Bharat dated 17.01.2024 के अनुपालन में रिटेल भण्डारणकर्ताओं द्वारा किये गये अवैध खनन के क्रम में सम्बन्धित पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित की जानी है।


मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश मूल आवेदन सं०-360/2015, दिनांक 26.02.2021 व मूल आवेदन सं०-337/2021 दिनांक 25.05.2022 में दी गयी गणना के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि ₹3,13,323/- आंकलित की गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि ₹3,13,323/- पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्तर्गत इस कार्यालय में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का डिमान्ड ड्राफ्ट "उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" के नाम एवं देहरादून में देय होगा।

भवदीय

  
(डॉ० पराग मधुकर धकाते)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय अधिकारी, यू०के०पी०सी०बी०, क्षेत्रीय कार्यालय, रुड़की को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
सदस्य सचिव





मुख्यालय  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"

46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून  
E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष: 0135-2607092

पत्रांक-यूकेपीसीबी/एचओ/सी.एण्ड.एम.-241/2024/1364

दिनांक :- 22.11.2024

सेवा में,

मै० माँ दुर्गा इंटप्राईजेस,  
प्रो० श्रीमती कविता पत्नी श्री नन्दकिशोर,  
नि० कबूलपुर रायघाटी त० व जिला-हरिद्वार।

विषय :- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं०-182/2024, News Item titled "लक्सर में जोरों पर चल रहा अवैध खनन का खेल, रात के अंधेरे में गरज रही जे०सी०बी० मशीनें" Appearing in ETV Bharat dated 17.01.2024 के अनुपालन में रिटेल भण्डारणकर्ताओं द्वारा किये गये अवैध खनन के क्रम में सम्बन्धित पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित की जानी है।


मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश मूल आवेदन सं०-360/2015, दिनांक 26.02.2021 व मूल आवेदन सं०-337/2021 दिनांक 25.05.2022 में दी गयी गणना के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि ₹4,878/- आंकलित की गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि ₹4,878/- पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्तर्गत इस कार्यालय में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का डिमान्ड ड्राफ्ट "उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" के नाम एवं देहरादून में देय होगा।

भवदीय

  
(डॉ० पराग मधुकर धकाते)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय अधिकारी, यू०के०पी०सी०बी०, क्षेत्रीय कार्यालय, रुड़की को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
सदस्य सचिव

92



मुख्यालय  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"  
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून  
E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष: 0135-2607092

635

पत्रांक-यूकेपीसीबी/एचओ/सी.एण्ड.एम.-241/2024/1363

दिनांक :- 22.11.2024

सेवा में,

मै० प्रकाश कॉरपोरेशन,  
रामपुर रायघाटी त० लक्सर, जिला-हरिद्वार।

विषय :- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं०-182/2024, News Item titled "लक्सर में जोरों पर चल रहा अवैध खनन का खेल, रात के अंधेरे में गरज रही जे०सी०बी० मशीनें" Appearing in ETV Bharat dated 17.01.2024 के अनुपालन में रिटेल भण्डारणकर्ताओं द्वारा किये गये अवैध खनन के क्रम में सम्बन्धित पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित की जानी है।

मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश मूल आवेदन सं०-360/2015, दिनांक 26.02.2021 व मूल आवेदन सं०-337/2021 दिनांक 25.05.2022 में दी गयी गणना के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि ₹12,156/- आंकलित की गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि ₹12,15

6/- पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्तर्गत इस कार्यालय में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का डिमान्ड ड्राफ्ट "उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" के नाम एवं देहरादून में देय होगा।

भवदीय

(डॉ० पराग मधुकर धकाते)

सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय अधिकारी, यू०के०पी०सी०बी०, क्षेत्रीय कार्यालय, रुड़की को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव



मुख्यालय  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"  
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून  
E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष: 0135-2607092

पत्रांक-यूकेपीसीबी/एचओ/सी.एण्ड.एम.-241/2024/1362

दिनांक :- 22.11.2024

सेवा में,

श्री विनोद कुमार पुत्र री पाल गुप्ता,  
निवासी-गोरधनपुर रोड़, लक्सर शेखपुरी  
त0 लक्सर, जिला-हरिद्वार।

विषय :- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0-182/2024, News Item titled "लक्सर में जोरों पर चल रहा अवैध खनन का खेल, रात के अंधेरे में गरज रही जे0सी0बी0 मशीनें" Appearing in ETV Bharat dated 17.01.2024 के अनुपालन में रिटेल भण्डारणकर्ताओं द्वारा किये गये अवैध खनन के क्रम में सम्बन्धित पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित की जानी है।


मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश मूल आवेदन सं0-360/2015, दिनांक 26.02.2021 व मूल आवेदन सं0-337/2021 दिनांक 25.05.2022 में दी गयी गणना के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि ₹14,734/- आंकलित की गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि ₹14,734/- पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्तर्गत इस कार्यालय में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का डिमान्ड ड्राफ्ट "उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" के नाम एवं देहरादून में देय होगा।

भवदीय

  
(डॉ0 पराग मधुकर धकाते)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय अधिकारी, यूकेपीसीबी, क्षेत्रीय कार्यालय, रुड़की को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
सदस्य सचिव





मुख्यालय  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
“गौरा देवी पर्यावरण भवन”  
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून  
E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष: 0135-2607092

637

पत्रांक-यूकेपीसीबी/एचओ/सी.एण्ड.एम.-241/2024/1361

दिनांक :- 22.11.2024

सेवा में,

मै० कल्लू सिंह कॉन्ट्रेक्टर प्रो० कल्लू सिंह,  
पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी-ग्राम- भिक्कमपुर जीतपुर,  
तहसील-लक्सर, जिला-हरिद्वार।

विषय :- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं०-182/2024, News Item titled “लक्सर में जोरों पर चल रहा अवैध खनन का खेल, रात के अंधेरे में गरज रही जे०सी०बी० मशीनें” Appearing in ETV Bharat dated 17.01.2024 के अनुपालन में रिटेल भण्डारणकर्ताओं द्वारा किये गये अवैध खनन के क्रम में सम्बन्धित पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित की जानी है।

मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश मूल आवेदन सं०-360/2015, दिनांक 26.02.2021 व मूल आवेदन सं०-337/2021 दिनांक 25.05.2022 में दी गयी गणना के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि ₹6,605/- आंकलित की गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि ₹6,605/- पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्तर्गत इस कार्यालय में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का डिमान्ड ड्राफ्ट “उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड” के नाम एवं देहरादून में देय होगा।

भवदीय

(डॉ० पराग मधुकर धकाते)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय अधिकारी, यू०के०पी०सी०बी०, क्षेत्रीय कार्यालय, रुड़की को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव



मुख्यालय  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"  
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून  
E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष: 0135-2607092

पत्रांक-यूकेपीसीबी/एचओ/सी.एण्ड.एम.-241/2024/1360

दिनांक :- 22.11.2024

सेवा में,

श्री अमरदीप रणावत पुत्र श्री रणबीर सिंह रणावत,  
निवासी-128, बैंक कालोनी,  
पो0 अजबपुर कला, देहरादून।

विषय :- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0-182/2024, News Item titled "लक्सर में जोरों पर चल रहा अवैध खनन का खेल, रात के अंधेरे में गरज रही जे0सी0बी0 मशीनें" Appearing in ETV Bharat dated 17.01.2024 के अनुपालन में रिटेल भण्डारणकर्ताओं द्वारा किये गये अवैध खनन के क्रम में सम्बन्धित पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित की जानी है।


मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश मूल आवेदन सं0-360/2015, दिनांक 26.02.2021 व मूल आवेदन सं0-337/2021 दिनांक 25.05.2022 में दी गयी गणना के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि ₹3,223/- आंकलित की गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि ₹3,223/- पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्तर्गत इस कार्यालय में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का डिमान्ड ड्राफ्ट "उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" के नाम एवं देहरादून में देय होगा।

भवदीय

  
(डॉ0 पराग मधुकर धकाते)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय अधिकारी, यू0के0पी0सी0बी0, क्षेत्रीय कार्यालय, रुड़की को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
सदस्य सचिव

93



मुख्यालय  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"  
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून  
E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष: 0135-2607092

639

पत्रांक-यूकेपीसीबी/एचओ/सी.एण्ड.एम.-241/2024/1359

दिनांक :- 22 11.2024

सेवा में,

श्री आशुतोष सिंह बिष्ट पुत्र श्री शंकर सिंह,  
निवासी-ग्राम अकुराई पो0 अणा जिला-बागेश्वर।

विषय :- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0-182/2024, News Item titled "लक्सर में जोरों पर चल रहा अवैध खनन का खेल, रात के अंधेरे में गरज रही जे0सी0बी0 मशीनें" Appearing in ETV Bharat dated 17.01.2024 के अनुपालन में रिटेल भण्डारणकर्ताओं द्वारा किये गये अवैध खनन के कम में सम्बन्धित पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित की जानी है।

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश मूल आवेदन सं0-360/2015, दिनांक 26.02.2021 व मूल आवेदन सं0-337/2021 दिनांक 25.05.2022 में दी गयी गणना के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि ₹17,930/- आंकलित की गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि ₹17,930/- पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्तर्गत इस कार्यालय में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का डिमान्ड ड्राफ्ट "उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" के नाम एवं देहरादून में देय होगा।

भवदीय

(डॉ0 पराग मधुकर धकाते)

सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय अधिकारी, यू0के0पी0सी0बी0, क्षेत्रीय कार्यालय, रुड़की को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव

92



मुख्यालय  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"  
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून  
E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष: 0135-2607092

पत्रांक-यूकेपीसीबी/एचओ/सी.एण्ड.एम.-241/2024/1358

दिनांक :- 22. 11.2024

सेवा में,

श्री प्रतीक शर्मा पुत्र श्री मनीशंकर शर्मा,  
(मै0 हिमालयन ग्रुप ऑफ कम्पनी)  
निवासी-239/3, न्यू रामनगर, हरिद्वार।

विषय :- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0-182/2024, News Item titled "लक्सर में जोरों पर चल रहा अवैध खनन का खेल, रात के अंधेरे में गरज रही जे0सी0बी0 मशीनें" Appearing in ETV Bharat dated 17.01.2024 के अनुपालन में रिटेल भण्डारणकर्ताओं द्वारा किये गये अवैध खनन के क्रम में सम्बन्धित पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित की जानी है।


मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश मूल आवेदन सं0-360/2015, दिनांक 26.02.2021 व मूल आवेदन सं0-337/2021 दिनांक 25.05.2022 में दी गयी गणना के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि ₹1,50,628/- आंकलित की गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि ₹1,50,628/- पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्तर्गत इस कार्यालय में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का डिमान्ड ड्राफ्ट "उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" के नाम एवं देहरादून में देय होगा।

भवदीय

  
(डॉ0 पराग मधुकर धकाते)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय अधिकारी, यूकेपीसीबी, क्षेत्रीय कार्यालय, रुड़की को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
सदस्य सचिव

92  
12



मुख्यालय  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"

641

46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून  
E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष: 0135-2607092

पत्रांक-यूकेपीसीबी/एचओ/सी.एण्ड.एम.-241/2024/1357

दिनांक :- 22/11/2024

सेवा में,

श्री मेघराज पुत्र,  
श्री सुखलाल निवासी-ग्राम- डूमनपुरी,  
तहसील जिला-हरिद्वार।

विषय :- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं०-182/2024, News Item titled "लक्सर में जोरों पर चल रहा अवैध खनन का खेल, रात के अंधेरे में गरज रही जे०सी०बी० मशीनें" Appearing in ETV Bharat dated 17.01.2024 के अनुपालन में रिटेल भण्डारणकर्ताओं द्वारा किये गये अवैध खनन के क्रम में सम्बन्धित पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित की जानी है।

मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश मूल आवेदन सं०-360/2015, दिनांक 26.02.2021 व मूल आवेदन सं०-337/2021 दिनांक 25.05.2022 में दी गयी गणना के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि ₹35,824/- आंकलित की गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि ₹35,824/- पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्तर्गत इस कार्यालय में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का डिमान्ड ड्राफ्ट "उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" के नाम एवं देहरादून में देय होगा।

भवदीय

(डॉ० पराग मधुकर धकाते)

सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय अधिकारी, यू०के०पी०सी०बी०, क्षेत्रीय कार्यालय, रुड़की को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव



मुख्यालय  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"  
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून  
E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष: 0135-2607092

पत्रांक-यूकेपीसीबी/एचओ/सी.एण्ड.एम.-241/2024/1356

दिनांक :- 22.11.2024

सेवा में,

मै० चौहान ट्रेडिंग कम्पनी,  
प्रो० श्री रोहित पुत्र श्री अभयराम,  
ग्राम-भिकमपुर जीतपुर की तहसील-लक्सर, हरिद्वार।

विषय :- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं०-182/2024, News Item titled "लक्सर में जोरों पर चल रहा अवैध खनन का खेल, रात के अंधेरे में गरज रही जे०सी०बी० मशीनें" Appearing in ETV Bharat dated 17.01.2024 के अनुपालन में रिटेल भण्डारणकर्ताओं द्वारा किये गये अवैध खनन के क्रम में सम्बन्धित पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित की जानी है।

मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश मूल आवेदन सं०-360/2015, दिनांक 26.02.2021 व मूल आवेदन सं०-337/2021 दिनांक 25.05.2022 में दी गयी गणना के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि ₹45,927/- आंकलित की गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि ₹45,927/- पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्तर्गत इस कार्यालय में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का डिमान्ड ड्राफ्ट "उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" के नाम एवं देहरादून में देय होगा।

भवदीय

(डॉ० पराग मधुकर धकाते)

सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय अधिकारी, यू०के०पी०सी०बी०, क्षेत्रीय कार्यालय, रुड़की को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव



मुख्यालय  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"  
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून  
E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष: 0135-2607092

643

पत्रांक-यूकेपीसीबी/एचओ/सी.एण्ड.एम.-241/2024/1355

दिनांक :- 22.11.2024

सेवा में,

श्री राकेश कुमार पुत्र श्री प्रेमकुमार,  
निवासी-जैतपुर तहसील-लक्सर, जिला-हरिद्वार।

विषय :- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं०-182/2024, News Item titled "लक्सर में जोरों पर चल रहा अवैध खनन का खेल, रात के अंधेरे में गरज रही जे०सी०बी० मशीनें" Appearing in ETV Bharat dated 17.01.2024 के अनुपालन में रिटेल भण्डारणकर्ताओं द्वारा किये गये अवैध खनन के क्रम में सम्बन्धित पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित की जानी है।

मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश मूल आवेदन सं०-360/2015, दिनांक 26.02.2021 व मूल आवेदन सं०-337/2021 दिनांक 25.05.2022 में दी गयी गणना के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि ₹8,51,583/- आंकलित की गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि ₹8,51,583/- पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्तर्गत इस कार्यालय में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का डिमान्ड ड्राफ्ट "उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" के नाम एवं देहरादून में देय होगा।

भवदीय

(डॉ० पराग मधुकर धकाते)

सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय अधिकारी, यू०के०पी०सी०बी०, क्षेत्रीय कार्यालय, रुड़की को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव



मुख्यालय  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"  
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून  
E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष: 0135-2607092

पत्रांक-यूकेपीसीबी/एचओ/सी.एण्ड.एम.-241/2024/1354

दिनांक :- 22.11.2024

सेवा में,

मै० गुरु कृपा ट्रेडिंग कम्पनी,  
प्रो० अजय कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार,  
नि० ग्राम-महतोली, तहसील-लक्सर, जिला-हरिद्वार।

विषय :- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं०-182/2024, News Item titled "लक्सर में जोरों पर चल रहा अवैध खनन का खेल, रात के अंधेरे में गरज रही जे०सी०बी० मशीनें" Appearing in ETV Bharat dated 17.01.2024 के अनुपालन में रिटेल भण्डारणकर्ताओं द्वारा किये गये अवैध खनन के कम में सम्बन्धित पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित की जानी है।

मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश मूल आवेदन सं०-360/2015, दिनांक 26.02.2021 व मूल आवेदन सं०-337/2021 दिनांक 25.05.2022 में दी गयी गणना के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि ₹67,082/- आंकलित की गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि ₹67,082/- पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्तर्गत इस कार्यालय में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का डिमान्ड ड्राफ्ट "उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" के नाम एवं देहरादून में देय होगा।

भवदीय

(डॉ० पराग मधुकर धकाते)

सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय अधिकारी, यू०के०पी०सी०बी०, क्षेत्रीय कार्यालय, रुड़की को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव



मुख्यालय  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"  
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून  
E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष: 0135-2607092

645

पत्रांक-यूकेपीसीबी/एचओ/सी.एण्ड.एम.-241/2024/1353

दिनांक :- 22.11.2024

सेवा में,

श्री अनिल कुमार पाल पुत्र श्री ओमप्रकाश,  
मकान नं०-70 रोशनाबाद हरिद्वार,  
ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर, तहसील-लक्सर, जिला-हरिद्वार।

विषय :- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं०-182/2024, News Item titled "लक्सर में जोरों पर चल रहा अवैध खनन का खेल, रात के अंधेरे में गरज रही जे०सी०बी० मशीनें" Appearing in ETV Bharat dated 17.01.2024 के अनुपालन में रिटेल भण्डारणकर्ताओं द्वारा किये गये अवैध खनन के कम में सम्बन्धित पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित की जानी है।

मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश मूल आवेदन सं०-360/2015, दिनांक 26.02.2021 व मूल आवेदन सं०-337/2021 दिनांक 25.05.2022 में दी गयी गणना के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि ₹4,21,594/- आंकलित की गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि ₹4,21,594/- पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्तर्गत इस कार्यालय में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का डिमान्ड ड्राफ्ट "उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" के नाम एवं देहरादून में देय होगा।

भवदीय

(डॉ० पराग मधुकर धकाते)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय अधिकारी, यू०के०पी०सी०बी०, क्षेत्रीय कार्यालय, रुड़की को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव

१२  
१२



मुख्यालय  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"

46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून  
E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष: 0135-2607092

पत्रांक-यूकेपीसीबी/एचओ/सी.एण्ड.एम.-241/2024/1352

दिनांक :- 22.11.2024

सेवा में,

श्री संजीव कुमार,  
(डायरेक्टर वी.पी.एस. जी. इन्फ्राटेक प्रां0 लि0),  
पुत्र श्री बवजयपाल सिंह, निवासी-म0नं0-132,  
सोसाईटी रोड लक्सर, हरिद्वार।

विषय :- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0-182/2024, News Item titled "लक्सर में जोरों पर चल रहा अवैध खनन का खेल, रात के अंधेरे में गरज रही जे0सी0बी0 मशीनें" Appearing in ETV Bharat dated 17.01.2024 के अनुपालन में रिटेल भण्डारणकर्ताओं द्वारा किये गये अवैध खनन के क्रम में सम्बन्धित पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित की जानी है।


मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश मूल आवेदन सं0-360/2015, दिनांक 26.02.2021 व मूल आवेदन सं0-337/2021 दिनांक 25.05.2022 में दी गयी गणना के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि ₹64,387/- आंकलित की गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि ₹64,387/- पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्तर्गत इस कार्यालय में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का डिमान्ड ड्राफ्ट "उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" के नाम एवं देहरादून में देय होगा।

भवदीय

  
(डॉ0 पराग मधुकर धकाते)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय अधिकारी, यूकेपीसीबी, क्षेत्रीय कार्यालय, रुड़की को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
सदस्य सचिव

95

h2

UTTARAKHAND ENVIRONMENT PROTECTION &  
POLLUTION CONTROL BOARD  
Gauradevi Parayavaran Bhawan  
46-B, SIDCUL, IT Park, Sahashtradhara Road  
DEHRADUN (Uttarakhand)

HEAD OFFICE



उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
गौरादेवी पर्यावरण भवन  
46-बी, सिडकुल, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड,  
देहरादून(उत्तराखण्ड)

Web: www.ueppcb.uk.gov.in

कार्यालय आदेश

एतद्द्वारा राज्य बोर्ड की 23वीं बैठक दिनांक 29.11.2019 में प्रस्तावित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में पुनरीक्षित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। जिसकी प्रति संलग्नक 01 पर संलग्न है।

इसके अतिरिक्त बोर्ड की 22वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुपालन न होने पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गयी दिशा-निर्देश के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आगणन किया जाय। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आगणन हेतु विस्तृत फामूला संलग्नक 02 पर संलग्न है।

इस सम्बन्ध में बोर्ड के सभी अधिकारियों एवं क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है की उपरोक्त निर्णय के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जाये।

**OFFICE COPY**

(एस0 पी0 सुबुद्धि)  
सदस्य सचिव

यूईपीसीबी/एच.ओ./ सा0-06-23वीं बो0 बै0 /2019/ 9366-1570, दिनांक 21.12.2019  
प्रतिलिपि :-

1. वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (तकनीकी), उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वैज्ञानिक), उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. श्री पी0 के0 जोशी, पर्यावरण अभियंता /डा0 अंकुर कंसल, पर्यावरण अभियंता/श्री एस0 पी0 सिंह, पर्यावरण अभियंता/डा0 डी0 के0 जोशी, वैज्ञानिक अधिकारी उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून/रुड़की/काशीपुर/हल्द्वानी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. गार्ड फाईल।

**OFFICE COPY**

21.12.19  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी(प्रशा0)

एजेन्डा  
सं0-23.3

राज्य बोर्ड की 22वीं बोर्ड बैठक में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश के क्रम में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु पुनरिक्षित प्रस्ताव।

As per decision taken in the 22<sup>nd</sup> Board meeting dated 22.08.2019, revised document on Environment compensation is to be made.  
Accordingly, the revised document is as follows:-

### Environment Compensation to be levied on Defaulting Units Not complying with the Environmental Norms

The Hon'ble National Green Tribunal (NGT), Principal Bench in the matter of OA No. 593/2017 (WP (CIVIL) No. 375/2012, Paryavaran Suraksha Samiti & Anr. Vs. Union of India & Ors. directed Central Pollution Control Board (CPCB) that:  
"The CPCB may take penal action for failure, if any, against those accountable for setting up and maintaining STPs, CETPs and ETPs. CPCB may also assess and recover compensation for damage to the environment and said fund may be kept in a separate account and utilized in terms of an action plan for protection of the environment. Such action plan may be prepared by the CPCB within three months" (Flag-1).  
In this context, CPCB has prepared a document on the same considering inputs from their Regional Directors and Expert Groups (Flag-2).

Below is the list of cases considered for levying Environmental Compensation (EC):

- Discharges/emissions in violation of consent conditions, mainly prescribed standards / consent limits.
- Not complying with the directions issued, such as direction for closure due to non-installation of OCEMS, non-adherence to the action plans submitted etc.
- Intentional avoidance of data submission or data manipulation by tampering the Online Continuous Emission / Effluent Monitoring systems.
- Accidental discharges lasting for short durations resulting into damage to the environment.
- Intentional discharges to the environment -- land, water and air resulting into acute injury or damage to the environment.
- Injection of treated/partially treated/ untreated effluents to ground water.

As per CPCB document, in the instances as mentioned at **a, b and c above**, Pollution Index may be used as a basis to levy the Environmental Compensation. This is to mention that CPCB has published guidelines for categorization of industries into Red, Orange, Green and White based on concept of Pollution Index (PI). The Pollution Index is arrived after considering quantity & quality of emissions/ effluents generated types of hazardous wastes generated and consumption of resources. Pollution Index of an industrial sector is a numerical number in the range of 0 to 100 and can be represented as follows:

$$PI = f(\text{Water Pollution Score, Air Pollution Score \& HW Generation Score})$$

*Pollution Index* is a number from 0 to 100 and increasing value of PI denotes the increasing degree of pollution hazard from the industrial sector.

CPCB has issued directions to all SPCBs/PCCs on 07.03.2016 to adopt the methodology and follow guidelines prepared by CPCB for categorization of industrial sectors into Red, Orange, Green and White. **Uttarakhand Environment Protection has adopted the said categorization of industries based on pollution index.**

After considering various factors including the policy implementation issues, CPCB has come up with following formula for levying the Environmental Compensation in instances as mentioned at a, b and c including non-compliance of the environmental standards / violation of directions.

The Environmental Compensation shall be based on the following formula:

$$EC = PI \times N \times R \times S \times LF$$

Where,

EC is Environmental Compensation in ₹

PI = Pollution Index of industrial sector

N = Number of days of violation took place

R = A factor in Rupees (₹) for EC

S = Factor for scale of operation

LF = Location factor

The table below provide the CPCB criteria for taking values of various factors in the formula and proposed values to be taken by UEPPCB for levying Environment Compensation.

CPCB Criteria for taking values of various factors	Proposed values by UEPPCB																				
$EC = PI \times N \times R \times S \times LF$	$EC = PI \times N \times R \times S \times LF \times VF$																				
<p>The industrial sectors have been categorized into Red, Orange and Green, based on their Pollution Index in the range of 60 to 100, 41 to 59 and 21 to 40, respectively. It was suggested that the average pollution index of 80, 50 and 30 may be taken for calculating the Environmental Compensation for Red, Orange and Green categories of industries, respectively.</p>	<p>It is observed that the Pollution Index is combination of Air, Water and Hazardous which consist 40% part of Air, 40% part of Water and 20% part of hazardous. Also, the value to PI be calculated on average value of PI as given by CPB. In this context, value of PI should be taken based on violation of the particular Act/Rule, which may be as follows:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Category</th> <th>PI for Air</th> <th>PI for Water</th> <th>PI for Haz</th> </tr> <tr> <td></td> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Red</td> <td>32</td> <td>32</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>Orange</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Green</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>06</td> </tr> </tbody> </table> <p>Value of PI = A+B+C</p>	Category	PI for Air	PI for Water	PI for Haz		A	B	C	Red	32	32	16	Orange	20	20	10	Green	12	12	06
Category	PI for Air	PI for Water	PI for Haz																		
	A	B	C																		
Red	32	32	16																		
Orange	20	20	10																		
Green	12	12	06																		
N, number of days for which violation	It is accepted by UEPPCB as such.																				

<p>took place is the period between the day of violation observed/due date of direction's compliance and the day of compliance verified by CPCB/SPCB/PCC.</p>													
<p>R is a factor in Rupees, which may be a minimum of 100 and maximum of 500. It is suggested to consider R as 250, as the Environmental Compensation in cases of violation.</p>	<p>It is proposed that the Value of Rupee factor is 100/-</p>												
<p>S could be based on small/medium/large industry categorization, which may be 0.5 for micro or small, 1.0 for medium and 1.5 for large units.</p>	<p>It is accepted by UEPPCB as such.</p>												
<p>LF, could be based on population of the city/town and location of the industrial unit. For the industrial unit located within municipal boundary or up to 10 km distance from the municipal boundary of the city/town, following factors (LF) may be used:</p> <table border="1" data-bbox="280 1048 751 1256"> <thead> <tr> <th>S. No.</th> <th>Population* (million)</th> <th>Location Factor# (LF)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1 to &lt;5</td> <td>1.25</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>5 to &lt;10</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>10 and above</td> <td>2.0</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>*Population of the city/town as per the latest Census of India</i>  #LF will be 1.0 in case unit is located &gt;10km from municipal boundary  <i>LF is presumed as 1 for city/town having population less than one million.</i>  For notified Ecologically Sensitive areas, for beginning, LF may be assumed as 2.0.</p>	S. No.	Population* (million)	Location Factor# (LF)	1	1 to <5	1.25	2	5 to <10	1.5	3	10 and above	2.0	<p>It is accepted by UEPPCB as such.</p>
S. No.	Population* (million)	Location Factor# (LF)											
1	1 to <5	1.25											
2	5 to <10	1.5											
3	10 and above	2.0											
<p><b>Violation Factor:</b> Not given by CPCB</p>	<p>It is proposed to add a new factor called <b>Violation Factor(VF)</b>. This may be taken as follows: -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. If the unit is having adequate Treatment facility, which is operational but due to some technical fault, it is not working properly and values of prescribed parameters found exceeded then VF will be 1.0</li> </ol>												

	<p>ii. If the unit is not having adequate facility for treatment of pollution then VF will be 1.25</p> <p>iii. If unit is having facility but unit is found by-passing full or part of the pollution then VF will be 1.5</p> <p>iv. If the unit is not having pollution control facilities then VF will be 2.0</p> <p>v. If the unit is neither having valid Consent to Operate nor applied for the same and in operation with any default (i to iv ) then VF will be 0.5 + value of VF for point i to iv.</p>																
<p>In any case, minimum Environmental Compensation shall be ₹ 5000/day.</p>	<p><b>Calculated Minimum EC</b></p> <table border="1" data-bbox="807 719 1225 864"> <thead> <tr> <th></th> <th>Air</th> <th>Water</th> <th>Haz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Red</td> <td>2400</td> <td>2400</td> <td>1200</td> </tr> <tr> <td>Orange</td> <td>1500</td> <td>1500</td> <td>750</td> </tr> <tr> <td>Green</td> <td>900</td> <td>900</td> <td>450</td> </tr> </tbody> </table>		Air	Water	Haz	Red	2400	2400	1200	Orange	1500	1500	750	Green	900	900	450
	Air	Water	Haz														
Red	2400	2400	1200														
Orange	1500	1500	750														
Green	900	900	450														
<p>In order to include deterrent effect for repeated violations, EC may be increased on exponential basis, i.e. by 2 times on 1st repetition, 4 times on 2nd repetition and 8 times on further repetitions.</p>	<p>It is accepted by UEPPCB as such</p> <p>First violation cycle means:- Date of inspection on which violation reported to the period until the noncompliance have been rectified. These number of days will be considered for First cycle of EC.</p> <p>Second Violation means:- After fist violation during the opportunity of time to rectify default, if unit again found not complied then second cycle of EC will start and so on.</p> <p>Default also includes non-compliance of closure directions.</p>																
<p>If the operations of the industry are inevitable and violator continues its operations beyond 3 months then for deterrent compensation, EC may be increased by 2, 4 and 8 times for 2nd, 3rd and 4th quarter, respectively. Even if the operations are inevitable beyond 12 months, violator will not be allowed to operate.</p>	<p>It is proposed that if the operations of the industry are inevitable and violation continues after II<sup>nd</sup> cycle of default, besides imposition of EC of III<sup>rd</sup> Cycle violator will not be allowed to operate.</p>																
<p>In other instances, i.e. <b>d, e and f</b>, the environmental compensation may contain two parts – one requires providing immediate relief and other long-term measures such as remediation. In all these cases, detailed investigations are required from expert institutions/organizations based on which environmental compensation will be decided. In such cases till the detailed study will not carried out by institution, the EC will be collected based on above formulas. Remaining EC will be taken after the study.</p>																	

In such cases, comprehensive plan for remediation of environmental pollution may be prepared and executed under the supervision of a committee with representatives of SPCB and/or CPCB as approved by Chairman State Board and expert institutions/organizations.

### **Action Plan for Utilization of Environmental Compensation Fund**

The Committee discussed about the utilization of funds, which will be received by imposing Environmental Compensation. The following Action Plan is proposed to utilize the fund for protection of the environment.

#### ***When Environmental Compensation is calculated through the Pollution Index:***

The amount received by imposing the Environmental Compensation to the industries / organization non-complying with the environmental standards / violating any SPCB's directions shall be deposited in a separate bank account. The amount accumulated will be utilized for Protection of Environment. The following schemes were identified, which may be considered for utilization of Environmental Compensation Fund:

- a. Industrial Inspections for compliance verification
- b. Installation of Continuous water quality monitoring stations / Continuous ambient air quality monitoring stations for strengthening of existing monitoring network
- d. Carrying out for study for Investigations of environmental damages, preparation of DPRs
- e. Remediation of contaminated sites
- f. Environment Infrastructure augmentation /capacity building of SPCB

The above proposed list may include other schemes also, depending upon the requirement.

Considering the availability of accumulated funds, SPCB will finalize the scheme, keeping in mind the priority, to utilize the funds of Environmental Compensation.

#### ***When Environmental Compensation is assessed based on actual damage to the environment by Expert Organization/ Agency:***

The amount of Environmental Compensation under this case will be remediation costs, measures requiring immediate and short-term actions, compensation towards loss of ecology, etc., and will be utilized exclusively for the purpose at specific site, based on the detailed investigations by the Expert Organizations/ agencies.



HEAD OFFICE  
Uttarakhand Pollution Control Board  
"Gauradevi Paryavaran Bhawan"  
46B, IT Park, Sahasradhara Road, Dehradun  
E-mail : msukpcb@yahoo.com

Letter No.: UKPCB/HO/Gen-183-756/2024/832,

Date: 21.09.2024

BY HAND

To,  
Registrar General,  
National Green Tribunal,  
Faridkot House,  
Copernicus Marg,  
New Delhi - 110 001  
Email: admn.ngt@nic.in

Sub: In compliance of order passed by the Hon'ble NGT in O.A. No. 182 of 2024-  
Submission of cost imposed-reg.

Sir/Mam,

Kindly refer to the order dated 23.08.2024 passed by the Hon'ble NGT in the matter of O.A. No. 182 of 2024, News item titled "Laksar mein jaron par chal raha aviadh khaman ka khel raat ke andhere mein garaj rahi JCB mashine" appearing in ETV Bharat dated 17.01.2024. In compliance of above said order, please find enclosed demand draft of Rs. 25,000/- (Rs. Twenty Five Thousand only) towards cost imposed against the Uttarakhand Pollution Control Board.

Encl.: As above

Yours Sincerely,

(Dr. Parag Madhukar Dhakate)  
Member Secretary

Copy to: Shri Mukesh Verma, Advocate for information and request to submit enclosed demand draft in the office of Registrar General, Hon'ble NGT, please.

Member Secretary

राष्ट्रीय हरित अधिकरण National Green Tribunal प्रधान न्यायाधीश / Principal Bench नई दिल्ली / New Delhi  16 OCT 2024  प्राप्ति और निर्गम अनुभाग Receipt & Issue Section डायरी नं. / Diary No..... हस्ताक्षर / Signature.....
---

Clean Environment and Healthy Life Style  
स्वच्छ पर्यावरण व स्वस्थ जीवन शैली